

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र के विभागों और संस्थाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कम्पनियों और वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है। प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय—समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियां, मानित कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करता है। इसके अतिरिक्त ये कम्पनियां सीएजी द्वारा किये जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था तत्सम्बंधी अधिनियमों के तहत निर्धारित की जाती है, जिसके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं। सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय—समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं। भाग—अ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप से संबंधित है और भाग—ब उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त सरकारी विभागों और संस्थाओं के क्रियाकलाप से सम्बंधित है।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2017–18 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये एवं गत वर्षों में संज्ञान में आये थे परंतु उनका उल्लेख गत वर्षों के प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2017–18 के बाद की अवधि से सम्बंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बंधित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुपालन में ही लेखापरीक्षा की गयी है।